न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 09/2018 **दायरा दिनांक : 02.01.2018**

उनवान

हबीब खां आत्मज श्री मंगू खां, जाति मुसलमान, निवासी रमजानपुरा, अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— जफर उल्लाह पुत्र रहीम उल्लाह खां, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

2— करीम उल्लाह पुत्र रहीम उल्लाह खां, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (मृतक) कायम मुकामान :—

1— नसीम बैगम बेवा करीम उल्लाह,

2— गुलनाज पुत्री करीग उल्लाह

3— मेहराज पुत्र करीम उल्लाह नाबालिग

4— नसीम पुत्री करीम उल्लाह नाबालिग

5— फिरोज पुत्र करीम उल्लाह नाबालिग

जर्ये वली माता नसीम बैगम अकवाम जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा, जिला झालावाड

3— अब्दुल सलाम पुत्र रहीम उल्लाह खां, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

4— शमीम बैगम पत्नी जब्बीर भाई, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

5— आमाना पत्नी समद, जाति मुसलमान, निवासी मोती मस्जिद के पीछे मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

6— रूकया पत्नी अहमद भाई, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

7— हनीफ पुत्र शुबराती, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (मृतक) कायम मुकामान :—

1— रईस पुत्र हनीफ

2— अनीस पुत्र हनीफ

3— मोहिन पुत्र हनीफ

अकवाम जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

8— रफीक पुत्र सुबराती, जाति मुसलमान, निवासी रमजानपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

9— खातमा पुत्री सुबराती, जाति मुसलमान, निवासी रमजानपुरा, अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (मृतक) कायम मुकामान :—

1— शहजाद पुत्र खातमा, जाति मुसलमान, निवासी रमजानपुरा, अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

10— चांदनी पुत्री सुबराती, जाति मुसलमान, निवासी रमजानपुरा, अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

11— बफाती पुत्र गुलाब खां, जाति मुसलमान, निवासी छीपा मोहल्ला, अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (मृतक) कायम मुकामान :—

1— हकीम पुत्र बफाती

2— अब्दुल सलीम पुत्र बफाती

अकवाम, जाति मुसलमान, निवासी छीपा मोहल्ला, अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

12— शकूर खां पुत्र गुलाब खां, जाति मुसलमान, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (मृतक) कायम मुकामान :—

1— हफीज पुत्र शकूर खा, जाति मुसलमान, निवासी नई बस्ती, अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

2— छुट्टा पुत्र शकूर खा, जाति मुसलमान, निवासी नई बस्ती, अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

3— अशीक पुत्र शकूर खा, जाति मुसलमान, निवासी नई बस्ती, अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

4— बहाव पुत्र शकूर खा, जाति मुसलमान, निवासी नई बस्ती, अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

13— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ए के जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 30.08.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या — 110/वाजदायरा/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री पत्रावली संग्रहसार एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री दिनांक 15.12.2017 को आदेश पारित करके अपीलांट के दावे को अकारण ही अपने अधिकारों से परे जाकर खारिज किया है । माननीय न्यायालय द्वारा वादिनी का 1/4 हिस्सा एवं अपीलांट केता का 3/4 हिस्सा निर्धारित करते हुए प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित करने के लिए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया था । माननीय न्यायालय के आदेश के बाद पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर में अंतिम निर्णय होने के बाद अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली प्राप्त होने पर दिनांक 15.12.2017 को प्रकरण दर्ज कर उसी दिनांक को वादी के अभिभाषक की सहमति मानते हुए निर्णय व अंतिम डिक्री पारित कर दी जो कानूनी प्रावधानों के पूर्ण विपरीत है । तहसीलदार के आदेश की पालना में दिनांक 12.12.2017 को आई एल आर पटवारी द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया जिसमें अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया जबकि बंटवारा प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा तैयार किया जाना चाहिए । अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलांट को आपत्ति पेश करने का अवसर नहीं दिया गयाऔर राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई तथा सीधे ही अंतिम डिक्री पारित कर दी । अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं कर एक तरफा निर्णय पारित किया गया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 15. 12.2017 को नियत थी परन्तु प्रकरण दिनांक 15.12.2017 को दर्ज होने से पूर्व ही दिनांक 12.12.2017 को तहसीलदार द्वारा मौका पर्चा तैयार कर बिना अपीलांट को सूचित किये बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर दिये

गए तथा अंतिम डिक्री भी पारित कर दी गई जिससे अपीलांट सहमत नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में 2017 (1) आर आर टी पेज 610, आर आर डी 1995 पेज 475, 2016 (1) आर आर टी पेज 87, 2017 (1) आर आर टी पेज 689, 2012 (1) आर आर टी 350 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि प्रकरण बहुत पुराना है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये । अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में 2017 आर आर डी पेज 286, 2016 आर आर डी पेज 232, 2017 (1) आर आर टी पेज 688 उद्धरत की ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का मनन व दस्तावेजों का अध्ययन किया । उपरोक्त प्रकरण में यह स्पष्ट हे कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.09.2012 को निर्णय पारित कर रेस्पोडेंट का 1/4 हिस्सा व अपीलांट का 3/4 हिस्सा मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारों को 31.10.2012 को पेश होने के लिए आदेशित किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने राजस्व मण्डल के न्यायालय में अपील दायर की, परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा अपील दिनांक 21.02.2014 को खारिज करते हुए न्यायालय आर. ए. ए. का निर्णय दिनांक 03.09.2012 को बहाल रखा । जिसकी अपीलांट द्वारा निगरानी माननीय राजस्व मण्डल में पेश की जो दिनांक 09.11.2017 को खारिज कर दी गई । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.09.2012 के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 15.12.2017 को डिक्री जारी की गई ।

पत्रावली के अध्ययन व दस्तावेजों से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि अपीलांट का उपरोक्त विवादित आराजी में 3/4 हिस्सा व रेस्पोडेंट का 1/4 हिस्सा निर्धारित किया जाकर बंटवारा किया जाना है ।

सलंग्न जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 के अनुसार यह भी स्पष्ट है कि वादिनी बानो बाई के वारिसान के 1/4 हिस्से में खसरा नम्बर 158/1 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा व प्रतिवादी हबीब खां के 3/4 हिस्से के अनुसार खसरा नम्बर 158 रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा पृथक पृथक दर्ज है । जिसके अनुसार ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा किया गया है । वादिनी व प्रतिवादिनी के खाते में जिस प्रकार हिस्सा क्रमशः 1/4 व 3/4 पूर्ववत दर्ज है उसी अनुसार बंटवारा किया जाना स्पष्ट है । परन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा प्रस्ताव एक पक्षीय तैयार किया गया है जिस पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । चूंकि प्रकरण बहुत पुराना है तथा राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार 10 वर्ष से अधिक पुराने प्रकरणों पर प्रतिदिन व शीघ्र सुनवाई का प्रकरणें का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जावे ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को प्रारम्भिक डिक्री पर समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे तथा प्रकरण का तीन माह में निस्तारण करें । अपीलांट को सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार तामील कर सुनवाई का अवसर प्रदान करें । यदि बावजूद तामील अपीलांट अनुपस्थित रहते हैं तो अधीनस्थ न्यायालय सी पी सी के नियमों के अन्तर्गत गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करने हेतु स्वतंत्र होगी । उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.10.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा